

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

//ORDER//

No. B/6524/

Jabalpur, dt. 14/12/2018

Shri Pradeep Singh, MUS (Multi Utility Staff) of the Society for Centralized Recruitment of Staff in Subordinate Courts (SSSC) High Court of Punjab and Haryana, presently working on the post of Peon in the Establishment of High Court of Madhya Pradesh, Main Seat Jabalpur is hereby relieved w.e.f. 29-12-2018 (afternoon) to join in his parent department.

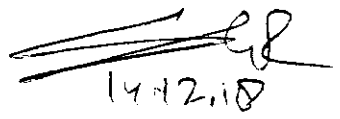

(ARVIND KUMAR SHUKLA)
REGISTRAR GENERAL

Endt. No. B/6525/

Jabalpur, dt. 14/12/2018

Copy forwarded to:-

1. Member Secretary, Society for Centralized Recruitment of Staff in Subordinate Courts (SSSC), 4th floor, High Court extension building, Chandigarh-17 in view of the E-mail dated 13-12-2018.
 2. Registrar General, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh
 3. Registrar Admn./PPS, High Court of M.P., Jabalpur
 4. The Budget Officer-cum-OSD/Accounts Officer, High Court of M.P., Jabalpur
 5. Assistant Registrar (Administration), Supreme Court of India, New Delhi in view of Letter No.F.3/2018/SCA-I, New Delhi dated 05-12-2018.
 6. Joint Registrar (Protocol) , High Court of M.P., Jabalpur
 7. Asstt. Registrar Accounts/Estt. , High Court of M.P., Jabalpur
 8. P.S. to Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur
 9. Section Officer Pension/Account/Estt./Budget/Protocol, High Court of M.P., Jabalpur
 10. Asstt. Establishment/Service Book/Pay Bill/Leave/Protocol, High Court of M.P., Jabalpur
 11. Shri Pradeep Singh, Peon, High Court of Madhya Pradesh, Main Seat Jabalpur
- for information & necessary action.**


14.12.18
(SATISH CHANDRA RAI)
REGISTRAR(ADMN.)

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/6546 /

जबलपुर, दिनांक 14/12/2018

श्री आशीष कुमार जैन शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर से एम.ओ.एम (मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट) पाठ्यक्रम में दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रवेश लेने एवं परीक्षा सत्र 2018-19 में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/6547 /

जबलपुर, दिनांक 14/12/2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री आशीष कुमार जैन शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(यू. एस. दुबे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.